


दिनांक 26.02.2015 को निदेशक, उद्योग की अध्यक्षता में झारखण्ड औद्योगिक नीति-2012 के अन्तर्गत सी0पी0आई0एस0 एवं नेट वैट अनुदान से संबंधित प्रोत्साहन के निष्पादन हेतु "राज्य स्तरीय समिति" की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

1. श्री ए0मथुकुमार,
निदेशक, उद्योग, झारखण्ड, राँची अध्यक्ष
2. श्री डी0पी0 विद्यार्थी
उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, राँची सदस्य सचिव
3. श्री देवनन्दन राम, वाणिज्यकर उपायुक्त
वाणिज्यकर विभाग, झार0, राँची सदस्य
4. श्री बी0के0गुप्ता,
झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, राँची सदस्य
5. संयुक्त श्रमायुक्त,
श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची सदस्य
6. श्री रीतु राज कुमार,
इनफोर्समेंट ऑफिसर प्रोविडेन्ट फण्ड कमिश्नर सदस्य
7. श्री बोनीफास तिग्गा,
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा सदस्य
8. श्री राम स्नेही कुमार,
उद्योग विस्तार पदाधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र, देवघर सदस्य
9. श्री दास कुमार एक्का,
उद्योग विस्तार पदाधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र, हजारीबाग सदस्य
10. श्री एस0 एन0 केजरीवाल,
विभागीय परामर्शी विशेष आमंत्रित सदस्य

झारखण्ड औद्योगिक नीति-2012 तथा झारखण्ड औद्योगिक संचालन प्रक्रिया के प्रावधानों के तहत राज्य में स्थित गैर मेगा औद्योगिक इकाइयों द्वारा किये गये अचल पूँजी निवेश के आधार पर सी0पी0आई0एस0 एवं नेट वैट अनुदान के प्राप्त कुल 05 इकाइयों के प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किये गये हैं। समिति द्वारा इकाईवार विमर्शापरान्त निम्न रूप से निर्णय लिए गये :-







दिनांक 26.02.2015 की कार्यवाही

क्र०	विषय	विवरण
1	इकाई का नाम	सर्वश्री डयूराटेक केम प्लास्ट प्रा०लि०, देवघर
2	इकाई का प्रकार	लघु
3	EM Part-II की निर्गत तिथि	दिनांक 15.03.2014
4	अनुदान का प्रकार	सी०पी०आई०एस० (2015-16) प्रथम वर्ष
5	अनुदान आवेदन की तिथि	दिनांक 06.01.2015
6	संबंधित कार्यालय द्वारा प्रेषण की तिथि	पत्रांक 42 दिनांक 19.01.2015
7	DOP के आवेदन की तिथि	-
8	क्षाति की स्थिति	-
9	उत्पादित सामग्री	RPVC Pipe
10	वाणिज्यिक उत्पादन तिथि	दिनांक 14.01.2014
11	Consent to Establish की स्थिति	पत्रांक 1445 दिनांक 24.04.2012
12	(i) First Consent to operate की स्थिति	पत्रांक 2970 दिनांक 20.12.2013
13	(ii) वैधता की तिथि	दिनांक 01.01.2014 से 31.12.2015 तक
	अद्यतन consent to operate की स्थिति	दिनांक 01.01.2014 से 31.12.2015 तक
14	फैक्ट्री लाइसेंस की स्थिति	वर्ष 2013 एवं 2014 का प्राप्त

15. राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा : सर्वश्री डयूराटेक केम प्लास्ट प्रा०लि०, देवघर के सी०पी०आई०एस० हेतु दिए गए आवेदन की जांच विभागीय परामर्शी से करायी गयी। परामर्शी के द्वारा बताया गया कि झारखण्ड औद्योगिक नीति-2012 के कंडिका-35.7 (ख) के अन्तर्गत "कोई भी इकाई केवल डी०ओ०पी० के अगले वित्तीय वर्ष से ही विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति/सब्सिडी/प्रोत्साहनों के भुगतान की हकदार होंगी" एवं निम्नलिखित कागजातों की कमी बतायी गयी :

(क) डी०ओ०पी० हेतु विलंब से आवेदन दिए जाने का कारण?

(ख) इकाई के द्वारा प्रपत्र 1.2, 1.7 एवं 1.8 में सूचना संलग्न नहीं है।

उक्त तथ्यों से समिति को अवगत कराया गया। समिति के द्वारा बैठक के दौरान इकाई के प्रतिनिधि को समस्त तथ्यों की जानकारी दी गयी एवं अगले वित्तीय वर्ष में प्रोत्साहन प्राप्त होने के संबंध में बताया गया एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, देवघर को निदेशित किया गया कि अगले वित्तीय वर्ष में वांछित कागजातों को प्राप्त कर उपलब्ध कराया जाए।

क्र०	विषय	विवरण
1	इकाई का नाम	सर्वश्री बालाजी फलाई ऐश प्रा०लि०, सरायकेला
2	इकाई का प्रकार	लघु
3	EM Part-II की निर्गत तिथि	दिनांक 23.03.2012
4	अनुदान का प्रकार	सी०पी०आई०एस० (2014-15) प्रथम वर्ष
5	आवेदन की तिथि	दिनांक 08.10.2014
6	संबंधित कार्यालय द्वारा प्रेषण की तिथि	पत्रांक 1996 दिनांक 31.12.2014
7	DOP के आवेदन की तिथि	30.12.2013
8	उत्पादित सामग्री	फलाई ऐश ब्रिक्स
9	वाणिज्यिक उत्पादन तिथि	दिनांक 01.07.2013 जि०उ०के०, चाईबासा के पत्रांक 413 दिनांक 19.02.2014
10	Consent to Establish की स्थिति	पत्रांक 4524 दिनांक 25.09.2012
11	(i) First Consent to operate की स्थिति	पत्रांक 989 दिनांक 03.04.2014
12	(ii) वैधता की तिथि	दिनांक 01.11.2012 से 30.09.2015 तक
13	अद्यतन consent to operate की स्थिति	उपरोक्त
	फैक्ट्री लाइसेंस की स्थिति	वर्ष 2014 का प्राप्त

14. राज्य स्तरीय समिति की अनुशांसा : सर्वश्री बालाजी फलाई ऐश प्रा०लि०, सरायकेला के सी०पी०आई०एस० (2014-15) के दावे की जांच विभागीय परामर्शी के द्वारा करायी गयी। परामर्शी के द्वारा निम्नलिखित कागजातों की कमी बतायी गयी :

(क) इकाई के द्वारा अंकेक्षित बैलेंस सीट वर्ष 2013-14 का संलग्न नहीं है।

(ख) वर्ष 2014-15 का फैक्ट्री लाइसेंस उपलब्ध नहीं है।

(ग) डी०जी० सेट से संबंधित इनवॉयस संलग्न नहीं है।

उक्त तथ्यों से समिति को अवगत कराया गया। समिति के द्वारा महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा को निदेशित किया गया कि इकाई से कागजातों को प्राप्त कर निदेशालय में उपलब्ध कराया जाए एवं समीक्षोपरान्त अगली बैठक में शामिल किया जाए।

Amey - *Ag* *Ag*

3.


क्र०	विषय	विवरण
1	इकाई का नाम	सर्वश्री यूनिवर्सल ऑटो कॉम्पोनेंट प्रा०लि०, सरायकेला
2	इकाई का प्रकार	लघु
3	EM Part-II की निर्गत तिथि	दिनांक 21.01.2012
4	अनुदान का प्रकार	सी०पी०आई०एस० (2014-15)
5	आवेदन की तिथि	दिनांक 22.01.2015
6	संबंधित कार्यालय द्वारा प्रेषण की तिथि	पत्रांक 97 दिनांक 23.01.2015
7	DOP के आवेदन की तिथि	19.12.2014
8	उत्पादित सामग्री	ऑटो कॉम्पोनेंट
9	वाणिज्यकर उत्पादन तिथि	दिनांक 03.04.2013 पत्रांक 1069 दिनांक 20.02.14
10	Consent to Establish की स्थिति	पत्रांक 5109 दिनांक 13.12.2010
11	(i) First Consent to operate की स्थिति	पत्रांक 1204 दिनांक 28.04.2012
12	(ii) वैधता की तिथि	दिनांक 27.01.2012 से 31.12.2012 तक
13	अद्यतन consent to operate की स्थिति	पत्रांक 920 दिनांक 02.04.2013
14	फैक्ट्री लाइसेंस की स्थिति	वर्ष 2013 का प्राप्त
15.	राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा : सर्वश्री यूनिवर्सल ऑटो कॉम्पोनेंट प्रा०लि०, सरायकेला के CPIS अनुदान के दावे की जांच विभागीय परामर्शी से करायी गयी। परामर्शी के द्वारा निम्नलिखित कागजातों की कमी बतायी गयी:	
	(क) इकाई के द्वारा प्रपत्र-1.7 एवं संबंधित परिशिष्ट (i), (ii), (iii) & (iv) संलग्न नहीं है।	
	(ख) उत्पादन/बिक्री/टैक्स आदि से संबंधित प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र-1.4 में नहीं है तथा सी०ए० द्वारा प्रमाणित नहीं है	
	(ग) फैक्ट्री लाइसेंस वर्ष 2014 का संलग्न नहीं है।	
	उक्त तथ्यों से समिति को अवगत कराया गया। समिति के द्वारा महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा को निदेशित किया गया कि इकाई से कागजातों को प्राप्त कर निदेशालय में उपलब्ध कराया जाए एवं समीक्षोपरान्त अगली बैठक में शामिल किया जाए।	

(Handwritten signature)

नेट वैट अनुदान

1.

क्र०	विषय	विवरण
1	इकाई का नाम	सर्वश्री यूनिवर्सल ऑटो कॉम्पोनेंट प्रा०लि०, सरायकेला
2	इकाई का प्रकार	लघु
3	EM Part-II की निर्गत तिथि	दिनांक 21.01.2012
4	अनुदान का प्रकार	नेट वैट सी०पी०आई०एस० (2014-15)
5	आवेदन की तिथि	दिनांक 22.01.2015
6	संबंधित कार्यालय द्वारा प्रेषण की तिथि	पत्रांक 96 दिनांक 23.01.2015
7	DOP के आवेदन की तिथि	13.12.2014
8	उत्पादित सामग्री	ऑटो कॉम्पोनेंट
9	वाणिज्यिक उत्पादन तिथि	दिनांक 03.04.2013 पत्रांक 1069 दिनांक 20.02.14
10	Consent to Establish की स्थिति	पत्रांक 5109 दिनांक 13.12.2010
11	(i) First Consent to operate की स्थिति	पत्रांक 1204 दिनांक 28.04.2012
12	(ii) वैधता की तिथि	दिनांक 27.01.2012 से 31.12.2012 तक
13	अद्यतन consent to operate की स्थिति	पत्रांक 920 दिनांक 02.04.2013
	फैक्ट्री लाइसेंस की स्थिति	वर्ष 2013 का प्राप्त
14.	राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा : सर्वश्री यूनिवर्सल ऑटो कॉम्पोनेंट प्रा०लि०, सरायकेला के द्वारा नेट वैट अनुदान की जांच विभागीय परामर्शी से करायी गयी। परामर्शी के द्वारा निम्नलिखित कागजातों की कमी बतायी गयी :	
	(क) The unit did not submit certified copy of audited balance sheet, profit and loss account for the relevant year 2013-14.	
	(ख) VAT audit report for the year 2013-14 is not available.	
	(ग) फैक्ट्री लाइसेंस वर्ष 2014 एवं 2015 का संलग्न नहीं है।	
	उक्त तथ्यों से समिति को बताया गया। समिति के द्वारा महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा को निदेशित किया गया कि इकाई से कागजातों को प्राप्त कर निदेशालय में उपलब्ध कराया जाए एवं समीक्षोपरान्त अगली बैठक में शामिल किया जाए।	



नेट वैट अनुदान

2.

क्र०	विषय	विवरण
1	इकाई का नाम	सर्वश्री उड़ीसा मैगनीज एण्ड मिनरल्स लि०, सरायकेला
2	इकाई का प्रकार	वृहत
3	EM Part-II की निर्गत तिथि	दिनांक 09.12.2011
4	अनुदान का प्रकार	नेट वैट अनुदान वर्ष (2012-13) (2013-14)
5	आवेदन की तिथि	दिनांक 30.09.2014
6	संबंधित कार्यालय द्वारा प्रेषण की तिथि	पत्रांक 95 दिनांक 23.01.2015
7	DOP के आवेदन की तिथि	25.01.2012
8	उत्पादित सामग्री	पीलेट्स
9	वाणिज्यकर उत्पादन तिथि	दिनांक 01.04.2012
10	Consent to Establish की स्थिति	पत्रांक 844 दिनांक 23.03.2011
11	(i) First Consent to operate की स्थिति	पत्रांक 2908 दिनांक 17.10.2011
12	(ii) वैधता की तिथि	दिनांक 28.03.2011 से 31.03.2012 तक
13	अद्यतन consent to operate की स्थिति	पत्रांक 1224 दिनांक 03.04.2014 के द्वारा निर्गत जिसकी वैधता 01.04.2014 से 31.03.2015 तक है।
14	वाणिज्यकर विभाग से प्राप्त वैट ऑडिट प्रमाण पत्र	
15	फैक्ट्री लाइसेंस की स्थिति	वर्ष 2014 एवं वर्ष 2015 का प्राप्त
16.	राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा सर्वश्री उड़ीसा मैगनीज एण्ड मिनरल्स लि०, सरायकेला के द्वारा नेट वैट अनुदान की जांच विभागीय परामर्शी से करायी गयी। परामर्शी के द्वारा बताया गया कि इकाई के द्वारा प्रस्तुत कागजातों में कई कागजातों की कमी है एवं झारखण्ड औद्योगिक नीति-2012 के परिशिष्ट-II की "कम संख्या 28 प्रावधानित लौह अयस्क, कोयला, पत्थर आदि की पिसाई/धुलाई जिसमें कोयला धावित्र के अलावा छंटाई/मिशाय शामिल है" के अनुसार इकाई प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं है। समिति के द्वारा विचारोपरान्त इकाई के दावे पर सरकार का आदेश प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।	

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

ह०/—	ह०/—	ह०/—	ह०/—
डी०पी०विद्यार्थी उप उद्योग निदेशक	बी०के०गुप्ता, रिसर्च ऑफिसर झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद	देवनन्दन राम, वाणिज्यकर उपायुक्त, वाणिज्यकर विभाग	निदेशक, उद्योग झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार

उद्योग निदेशालय

ज्ञापांक 927 /राँची, दिनांक 16/04/2015

प्रतिलिपि : निदेशक उद्योग, झारखण्ड, राँची/ श्री बी०के०गुप्ता,रिसर्च ऑफिसर झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद /श्री देवनंदन राम, वाणिज्यकर उपायुक्त, वाणिज्यकर विभाग / संयुक्त श्रमायुक्त, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री रीतु राज कुमार, इनफोर्समेंट ऑफिसर प्रोविडेंट फण्ड कमिश्नर /महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र चाईबासा/ देवघर, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

Mmm
15/4/15
(डी०पी०विद्यार्थी)

उप उद्योग निदेशक